Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Lucknow

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।

E-mail : commvvnl@gmail.com
CIN:U31200UP2003SGC027459

पत्रांकः प्र0नि0 / म0वि0वि0नि0लि0 / कैम्प दिनांकः 07.2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुपालन में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की पूर्व में वितरण इकाईयों से वितरित हो रही पेंशन, राजकीय कोषागार के माध्यम से भुगतान करायी जा रही है। परन्तु राजकीय कोषागार में विद्युत बिलों की कटौती हेतु मुख्यालय से अभी कोई आदेश न होने के कारण कटौती नहीं की जा रही है तथा विद्युत बिल से सम्बन्धित राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है।

निगमहित में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक सभी पेंशनधारियों द्वारा विद्युत बिल एवं ए0सी0 चार्जेज आदि का भुगतान सम्बन्धित पेंशन खण्ड में सीधे किया जायेगा। इसके लिये पेंशन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता अलग से एक कार्मिक की तैनाती कर राजस्व वसूली रसीद जारी कर विद्युत बिलों का राजस्व संग्रह करायें।

इसके लिये जारी की जाने वाली रसीद में पी0पी0ओ0 नं0, पेंशनधारी का नाम व पता, सर्विस कनेक्शन नं0 एवं बुक संख्या, मोबाईल नं0 एवं विद्युत उपभोग का माह, मासिक विद्युत बिल के भुगतान का विस्तृत विवरण यथा विद्युत मूल्य तथा फिक्स चार्ज आदि अंकित किया जायेगा। इस धनराशि को राजस्व खाते में जमा कर मुख्यालय को राजस्व के रुप में स्थानान्तरित किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड द्वारा भुगतान का मासिक लेखा हार्ड एवं साफ्ट कापी में रखा जायेगा तथा इसकी मासिक प्रगति से डिस्काम कार्यालय के मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य) को अवगत कराया जायेगा।

(सेल्वा कुमारी जे0)
प्रबन्ध निदेशक

SE-II
18/07/16

पत्रांकः प्र0नि0 / म0वि0वि0नि0लि0 / कैम्प दिनांकः 07.2016

प्रतिलिपिः अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लखनऊ सादर अवलोकनार्थ।

(सेल्वा कुमारी जे0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1593 प्र0नि0 / म0वि0वि0नि0लि0 / कैम्प दिनांकः 18. 07.2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
(2) निदेशक(तकनीकी / कार्मिक एवं प्रबन्धन / वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
(3) महाप्रबन्धक(वित्त), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ इस निर्देश के साथ कि इस व्यवस्था का तत्काल अनुपालन कराने एवं अनुश्रवण की व्यवस्था अपने स्तर से करें।
(4) मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता(वितरण), लेसा / लखनऊ / फैजाबाद / बरेली / गोण्डा क्षेत्र, म0वि0वि0नि0लि0 सम्बन्धित पेंशन खण्डों को अवगत कराकर पेंशनधारियों से विद्युत बिल प्राप्त करने एवं व्यवस्था का पेंशनधारियों में प्रचार–प्रसार भी करायें।
(6) समस्त अधिशासी अभियन्ता(पेशन खण्ड) / समस्त अधीक्षण अभियन्ता(वितरण), इस निर्देश के साथ कि जिन पेंशनधारियों के पेंशन राजकीय कोषागार से दिये जा रहे है उनके मोबाइल नं0 पर सम्पर्क कर नियमानुसार अनुमन्य विद्युत बिल धनराशि प्राप्त करने की व्यवस्था तत्काल करें।

(एस0सी0 गुप्ता)
निदेशक(वाणिज्य)